



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 17.04.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

पंचायत चुनाव के दृष्टिगत भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, चुनाव में हिंसा फैलाने वाले/अराजकता फैलाने वालों के विरूद्ध होगी कठोर वैधानिक कार्यवाही



पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में जनपद खीरी पुलिस द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने हेतु चुस्त दुरूस्त तैयारी की गई है। इसके लिए जनपदीय पुलिस सहित विभिन्न जनपदों से भारी संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है। पुलिस द्वारा सतत भ्रमणशील रहकर चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है। चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा/अराजकता फैलाने वालों के विरूद्ध गुण्डा, गैंगस्टर तथा एन0एस0ए तक की कार्यवाही की जाएगी। जनपद के प्रत्येक पोलिंग बूथ पर पर्याप्त संख्या में सशस्त्र पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त सेक्टर मोबाइल, जोनल मोबाइल, क्लस्टर मोबाइल आदि द्वारा सतत भ्रमणशील रहकर संपूर्ण क्षेत्र पर निगरानी रखी जा रही है।

अतिसंवेदनशील एवं संवेदनशील पोलिंग बूथों पर सीसीटीवी एवं सर्विलांस कैमरों द्वारा निगरानी रखी जाएगी। चुनाव के दौरान गड़बड़ी, मतदान प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न एवं

अराजकता व उपद्रव करने वालों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने हेतु जनपद में अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक 08, निरीक्षक/उ0नि0 504, मुख्य आरक्षी/आरक्षी/होमगार्ड 12500, पी0ए0सी 28 सेक्शन सहित भारी संख्या में अतिरिक्त सुरक्षा बल को लगाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक थानों पर क्यूआरटी एवं एन्टी राइट दल की भी तैनाती की गई है।

जनपद के समस्त नागरिकों को पुलिस अधीक्षक खीरी द्वारा आस्वस्त किया जाता है कि सभी निर्भिक होकर बिना डर एवं भय के मतदान करें। यदि कोई मतदान करने से रोकता है तो इसकी सूचना तत्काल जिला नियंत्रण कक्ष- 9454417444 पर दें जो गोपनीय रखी जाएगी एवं बाधा उत्पन्न करने वालों के विरूद्ध जाँच कर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना धौरहरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 158/21 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त 1. सर्वेश पुत्र लालाराम 2. सरवन पुत्र बलदेव 3. छोटू उर्फ अशोक कुमार पुत्र लालाराम नि0गण ग्राम नयापुरवा थाना धौरहरा खीरी को गिरफ्तार कर मा0न्या0 भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं जिनके विरुद्ध चोरी के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सर्वेश-

मु0अ0सं0 231/20 धारा 379/411 भादवि0

मु0अ0सं0 301/2020 धारा 401 भादवि0

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सरवन-

मु0अ0सं0 231/20 धारा 379/411 भादवि0

मु0अ0सं0 301/2020 धारा 401 भादवि0

आपराधिक इतिहास अभियुक्त छोटू-

मु0अ0सं0 231/20 धारा 379/411 भादवि0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 वेदपाल सिंह
2. हे0का0 शिवसागर पाल
3. का0 प्रतिपाल
4. का0 सतेन्द्र सिंह
5. का0 रिजवान
6. का0 सुमित कुमार
7. का0 राहुल जानीवाल

आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक खीरी द्वारा की गई पुलिस बल की ब्रीफिंग



दिनांक 19.04.2021 को जनपद खीरी में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष व सकुशल सम्पन्न कराने के उद्देश्य से आज दिनांक 17.04.21 को पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय दुल द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स परिसर में वाह्य जनपद से आए पुलिस बल की ब्रीफिंग की गई। साथ ही जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष एवं समस्त थानों पर उपस्थित पुलिसकर्मी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रीफिंग में जुड़े रहे।

ब्रीफिंग के दौरान महोदय द्वारा आगामी निर्वाचन को शांतिपूर्वक व निष्पक्ष सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिए गए। मतदान के दिन पोलिंग बूथ पर उपस्थित रहने वाले पुलिस बल को सतर्क रहने तथा किसी भी प्रकार की विधि विरुद्ध गतिविधि पर तत्काल सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट को सूचित करने, के साथ तत्काल कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी व बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए। पुलिसकर्मियों को मतदान स्थल पर स्वयं भी कोविड नियमावली का पालन करते हुए मतदाताओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए मतदान कराने हेतु निर्देशित किया गया। मतदान के दौरान बूथों पर तैनात पुलिसकर्मियों को प्रत्याशी या उनके समर्थकों से किसी भी प्रकार का भोजन या खान-पान संबंधी वस्तु न ग्रहण करने के लिए निर्देशित किया गया पुलिसकर्मियों के भोजन हेतु प्रबंध प्रशासन द्वारा किया गया है। समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को मतदान से पूर्व संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर मतदाताओं में सुरक्षा की भावना एवं अपराधियों के मन में भय जागृत करने के निर्देश दिए गए। मतदान के दौरान प्रत्येक व्यक्ति की सघन चेकिंग कर पानी, स्याही आदि को लेकर जाने की अनुमति नहीं देने के निर्देश दिए गए। मतदान के दौरान स्वयं भी निष्पक्ष व ईमानदार रहकर सम्पूर्ण प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने हेतु निर्देशित किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **08 लीटर अवैध कच्ची शराब** बरामद कर **01 अभियुक्त** को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना पलिया	08 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	08 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार